



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

South East Central Railway



मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

No: P-HQ/Wel/350/Academics/2020-21/8/82

Date: 04.12.2020

अपर महाप्रबंधक,
समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
समस्त मंडल रेल प्रबन्धक / बिलासपुर, रायपुर, नागपुर
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/ वै.रि.शा./ रायपुर
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/ मोतीबाग कार्यशाला / नागपुर
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

कर्मचारी हित निधि अधिसूचना सं. 03/2020-21

Staff Benefit Fund Notification No. 03/2020-21

विषय : वर्ष 2019-20 के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ)

से अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2014/FU-1/1 दिनांक 01.06.2015 (RBE No.54/2015 & स्थापना नियम सं. 83/2015)

Please peruse Railway Board's letter under reference regarding Cash Award to the wards of Railway Employees for outstanding performance in Academics from Staff Benefit Fund (SBF).

कृपया रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र का ध्यान दें। (शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) से नकद पुरस्कार देने के संबंध) :

1. The objective of the scheme is to recognize and encourage wards of railway employees for their outstanding performance in the field of academics.
1. इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
2. The scheme will be financed under the heading 'Education and Scholarship for higher education for girls and boys under SBF.
2. एसबीएफ के तहत लड़कियों और लड़कों के लिए उच्च शिक्षा के लिए 'शिक्षा और छात्रवृत्ति शीर्षक' के तहत इस योजना का वित्तपोषण किया जाएगा।
3. The scheme shall be applicable only to the wards of permanent Railway employees who are eligible, as per SBF rules.
3. यह योजना केवल स्थायी रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए लागू होगी जो कि एसबीएफ नियमों के मुताबिक पात्र हैं।
4. As per scheme, annual cash award shall be applicable only to the wards of eligible railway employees studying from VI standard to Post Graduation from any recognized Board/University.
4. स्कीम के अनुसार, वार्षिक नकद पुरस्कार केवल योग्य रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए होगा, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/कॉलेज/ विश्वविद्यालय से कक्षा छठी से स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं।
5. The parameters of outstanding performance, number of such scholarships and cash amount are to be decided by the SBF Committee depending on availability of funds under SBF and no. of eligible applications.

5. नकद राशि के मूल्य का निर्धारण जोनल एसबीएफ कमेटी द्वारा एसबीएफ के तहत धन की उपलब्धता और पात्र आवेदनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
6. There should be continuity in the studies. No drop out will be covered under the scheme.
6. अध्ययनों में निरंतरता होना चाहिए। योजना के तहत अध्ययन में कोई विराम नहीं होना चाहिए।
7. The Scheme shall be effective from the **academic year 2019-20 onwards**. Railway employees shall have to submit their application to the respective SBF Committee in the prescribed application form (sample copy enclosed) along with a **certificate from the Head of the Institute/School/ College/ University) and attested photocopy of the mark sheet (copies to be enclosed)**.
7. यह योजना 2019-20 के शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगी। रेलवे कर्मचारियों को संबंधित एसबीएफ कमेटी को अपने आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र (नमूना कॉपी संलग्न) में संस्थान / स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि के साथ जमा करना होगा और मार्क शीट की प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए।
8. The amount of cash award shall be **given only through account payee cheque or online transfer** in the name of the eligible wards.
8. नकद पुरस्कार राशि का भुगतान केवल योग्य बच्चों के नाम पर चेक या ऑनलाइन हस्तांतरण द्वारा की जाएगी।
9. Wards/students already in receipt of scholarships as per extant provisions under SBF shall also be eligible for award under the scheme to the extent of the difference in the Scholarships amount of the two schemes.
9. एसबीएफ के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पहले से ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चे / छात्र भी इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
10. In case of tie between students, girl child will be given preference. In case of tie among boys (or) among girls, the senior in age would get preference.
10. छात्रों के बीच समानता होने पर, लड़की को प्राथमिकता दी जाएगी। लड़कों व लड़कियों के बीच टाई के मामले में, वरिष्ठ आयु के लड़कों व लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. In case of any dispute, the decision of the SBF Committee shall be final.
11. किसी भी विवाद के स्थिति में, एसबीएफ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
12. The Grants /payments under different Heads from SBF are subject to availability of fund and at the discretion / decision of SBF committee, which shall be final. Hence it is clearly mentioned in the notification that mere submission of applications for cash award from SBF does not ipso-facto entitles staff to be considered for such award and get sanctioned with such.
12. यह स्पष्ट रूप से अधिसूचना में उल्लिखित है कि नकद पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से उम्मीदवार की पात्रता निश्चित नहीं हो सकती। एसबीएफ से विभिन्न मदों के अंतर्गत अनुदान / भुगतान, एसबीएफ समिति का विवेकाधिकार है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
13. The criteria for giving cash award to the wards of NG Railway employee for outstanding performance in academics for the year 2019-20 will be as under:
- 13 वर्ष 2019-20 के लिए शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार देने का मानदंड निम्नानुसार होगा: -

Class	Result/Position	
	CGPA system	% of marks system
VI – IX	10 CGPA	90% & above
X Board/ 10वीं बोर्ड	9 CGPA & above	80% & above
final exam published by Board	Top 10 in State level	
बोर्ड द्वारा प्रकाशित अंतिम परीक्षा	Top 10 in National level	
XI (Home) & XII (Board)	80 % & above	
XI – Result / परिणाम	Top 10 in State level	
XII – Result of final exam by Board / बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा का परिणाम	Top 10 in National level	
Graduation / Diploma स्नातक/डिप्लोमा After completion of final exam / अंतिम परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत	Technical / तकनीकी 85% & above	
	Non-technical / गैर तकनीकी 75% & above	
	University topper (Tech/Non Tech.)	
Post Graduation / स्नातकोत्तर After completion of final exam / अंतिम परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत	Technical / तकनीकी 85% & above	
	Non-technical / गैर तकनीकी 75% & above	
	University topper	
Up to Std. X, CGPA (Cumulative Grade Point Average) system will be followed and where CGPA system is not applicable, the Percentage system will be followed. कक्षा दसवीं तक, सीजीपीए (संचयी ग्रेड पॉइंट औसत) प्रणाली का पालन किया जाएगा और जहां सीजीपीए प्रणाली लागू नहीं होगी, प्रतिशत प्रणाली का पालन किया जाएगा।		

14. The individual award will be decided keeping in view the no. of eligible applications.

14. व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का निर्णय प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

15. It is therefore, requested to circulate the same to all your staff. The details of the scheme can be downloaded from the link mentioned below:

15. उपरोक्त योजना के लाभ हेतु विस्तृत प्रचार प्रसार कर्मचारियों के बीच किया जाये। इस योजना का विवरण नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकता है:

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/establishment/E%28W%29/2015/RBE_54_2015.pdf and <http://www.secr.indianrailways.gov.in> [Homepage> About us> Departments > Personnel> Welfare Activities]

16. Staff may submit their applications in the prescribed proforma in Divn/Workshop Unit/HQ on or before 08.01.2021.

16. कर्मचारी निर्धारित आवेदन को अपने मण्डल/ कार्यशाला यूनिट / मुख्यालय में दिनांक 08.01.2021 को या उससे पहले जमा कर सकते हैं।

17. After scrutiny of the applications, all Divisional/Workshop Unit authorities of SBF committee are requested to send eligible applications along with consolidated statement of applicants to HQ's office on or before 15.01.2021.

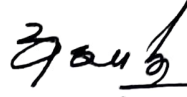
17. सभी विभागीय / कार्यशाला यूनिट के प्राधिकारी से निवेदन है कि प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों के समेकित विवरण के साथ मुख्यालय कार्यालय में 15.01.2021 को या उससे पहले अग्रेषित करें।

Before recommending the names to the Secretary, SBF committee, it is the responsibility of Sr.DPOs/APOs of Divisions/WS to verify the authenticity/ eligibility criteria/ Claims/ Vouchers / Certificates and satisfy themselves in all respect with regards to eligibility and genuineness of the

staff for such award from SBF. The application should be submitted in prescribed form along with all relevant certificates from the Head of the Institution/School/ College/ University and attested photocopy of mark sheet. No application will be considered after the last date i.e 08.01.2021 .

मंडल /कार्यशाला में पदस्थ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / सहायक कार्मिक अधिकारी के द्वारा, प्रमाणिकता/ पात्रता मानदंड / रसीद / प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरांत योग्य आवेदनों की अनुशंसा सचिव, एसबीएफ समिति को की जाए । आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में संस्थान / स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम तिथि, दिनांक 08.01.2021 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्न : यथोक्त (आवेदन पत्र)


(अशोक शर्मा) 04.12.20

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(मा.सं.वि.)
कृते, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए:

- (i) समस्त व. मण्डल कार्मिक अधिकारी एवं व. मण्डल वित्त प्रबन्धक /द पू म रे ,बिलासपुर,रायपुर एवं नागपुर
- (ii) समस्त कार्मिक अधिकारी/ मुख्या., उप. मु.कार्मिक अधिकारी (निर्माण)/बिलासपुर;
- (iii) सहायक कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/ मोतीबाग कार्यशाला/नागपुर; सहा.कार्मिक अधिकारी/सामान्य भंडार डिपो/रायपुर; सहा. कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/वैगन रिपेयर कार्यशाला / रायपुर, वरि. राजभाषा अधिकारी/ मुख्यालय ।
- (iv) महासचिव/द.पू.म.रे. मजदूर काँग्रेस /बिलासपुर ; ज़ोनल सचिव-AISCSTREA/BSP एवं SECROBCEA/BSP
- (v) सर्व संबन्धित एवं सूचना पटल


/कृते, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

आवेदन पत्र

वर्ष 2019-20 के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) से अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार।

1	कर्मचारी का नाम	
2	पदनाम	
3	नियुक्ति तिथि	
4	पे बैंड एवं ग्रेड पे	
5	मूल वेतन (वेतन पर्ची संलग्न करें)	
6	कर्मचारी संख्या/पी.एफ. संख्या	
7	विद्यार्थी का नाम	
8	विद्यार्थी की जन्म तिथि	
9	आवेदक के साथ संबंध (पुत्र/पुत्री)	
10	अध्ययन के संस्थान का नाम और पता	
11	कक्षा पाठ्यक्रम /	
12	पाठ्यक्रम की अवधि	

13. छात्र का शैक्षिक रिकॉर्ड (विद्यालय / कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र / मार्कशीट की प्रतियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए)

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	संस्था	परीक्षा के कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत % CGPA	कक्षा में स्थान

14	एसबीएफ या किसी अन्य स्रोत से अन्य छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता का विवरण	
----	---	--

आवेदक का हस्ताक्षर : _____

आवेदक का नाम : _____

मोबाइल नंबर : _____

कर्मचारी द्वारा उल्लेखित उपरोक्त जानकारी (क्रम संख्या 1 से 9) सेवा पुस्तिका से मिलान की गयी जो सही पायी गयी। उपरोक्त आवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु, सचिव/जोनल कर्मचारी लाभ निधि को अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

विभाग/कार्यालय का मुहर

दिनांक -



**Certificate from the Principal or Head of the Institution in which the
student is studying**

Certified that Mr./Ms. _____
son/daughter of Shri/Smt. _____ employed as
_____ in zone/division/PU/workshop, is a student of this
institution (School/College) and is at present studying or passed
_____ class/year (graduation/post graduation for _____ (course).
He/She has secured _____ position / %age in class/ graduation/ post
graduation for the academic year _____. This institution is recognised
by _____ State or is affiliated to
_____ Board/University.

Seal of the Institution (School/College)

Signature of the Head of the Institution

Date: _____